(2)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 177/2022
कुशलाराम उम्र 65 वर्ष पुत्र श्री शंकरलाल, जाति जाट, निवासी ओला की ढाणी तन छावसरी, पुलिस थाना गुढागौड़जी, जिला झुंझुनूं।

—— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अधिवक्ता झुंझुनूं।
2. जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं विभागीय प्रतिनिधि झुंझुनूं।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत वाहन पिकअप नं0 आर0जे0 18 जी0ए0 2502 एफ0आई0आर0 नं0 244/2022 पुलिस थाना खेतडी अ0 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम मुकदमा उनवानी सरकार बनाम दिनेश कुमार

——

उपस्थितः—
1 एडवोकट श्री झाबरसिंह शेखावत— प्रार्थी की ओर से
2 श्री कमल मीणा, विभागीय प्रतिनिधि— राज्य सरकार की ओर से

आदेश

दिनांक 29.06.2026

आवेदक की ओर से प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी निम्न प्रकार पेश है कि प्रार्थी वाहन पिकअप नं0 आरजे 18 जीए 2502 का रजिस्टर्ड स्वामी है। उक्त वाहन को पुलिस थाना खेतडी द्वारा प्रथम सूचना संख्या 244/2022 में दिनांक 20.05.2022 को जप्त किया था तब से उक्त वाहन पुलिस थाना खेतडी की अभिरक्षा में है। उक्त वाहन के सम्बन्ध में पुलिस थाना खेतडी द्वारा समस्त प्रकार का अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है तथा वाहन चालक प्रार्थी दिनेश कुमार को भी न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झुंझुनूं द्वारा दिनांक 21.05.2022 को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। तथा माननीय न्यायालय द्वारा जप्त शुदा डीजल को दिनांक 20.05.2022 को राजसात (अधिकरण) कर लिया गया है। उक्त वाहन के पुलिस थाना में लम्बे समय से खडा हैं जिसके खराब होने का पूर्ण अंदेशा है। प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी है तथा प्रार्थी वाहन चालक के विरूद्ध न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झुंझुनूं के समक्ष विचारण में लम्बा समय लगेगा इसलिए उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर छोडा जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। वाहन स्वामी को उक्त अपराध के बारे में कोई जानकारी नही थी और ना ही उक्त वाहन को वाहन चालक दिनेश कुमार द्वारा डीजल की जानकारी प्रार्थी आवेदक को नही थी। प्रार्थी मौतबीर व्यक्ति है मौतबीर सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश क[illegible] है [illegible] पत्र सुपुर्दगी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाहन आरजे 18 जीए 2502 को प्रार्थी को सुपुर्दगी प[illegible] का आदेश प्रदान करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.06 16:11:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर थानाधिकारी, पुलिस थाना, खेतडी से रिपोर्ट [illegible] की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना, खेतडी से पत्रांक [illegible] से रिपोर्ट प्राप्त हुई [illegible]नांक 21.05.2022 को श्री राजेश कुमार कसाना आरपीएस वृताधिकारी वृ[illegible]तडी ने मय फर्दात के [illegible]आईआर इस आशय की पंजीबद्ध करवाई है कि दिनांक 20.05.2022 को समय 11.30 पीएम पर मन राजेश कुमार आरपीएस वृत्ताधिकारी खेतडी को श्री राजकुमार एएसआई चौकी बबाई खेतडी ने जरिये दुरभाष सूचना दी

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

कि चौकी बबाई पर मन एएसआई को सूचना मिली थी कि आम सडक पपुरना बबाई खेडा वाला बालाजी मंदिर रोही प्रतापपुरा के पास एक डीजल के ड्रमो से भरी पिकअप पलट कर रोड के पूर्व साईड में गडडे में पडी हुई है। उक्त सूचना पर मन एएसआई राजकुमार मय जाप्ता चौकी बबाई से रवाना होकर के खेडा वाला बालाजी आम सडक पहुंचा तो रोड के पूर्व दिशा में एक पिकअप पलटी हुई थी, जिसके पास एक व्यक्ति खडा था जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसको पकडा तो स्वयं ने पिकअप का चालक होना बताया। पिकअप को चैक किया तो कुछ ड्रम पिकअप डाला में तथा कुछ ड्रम नीचे पडे थे जिनमें डीजल पैट्रोल भरा हुआ है। चालक को डीजल पैट्रोल परिवहन बाबत लाईसेन्स पूछा तो अपने पास कोई लाईसेन्स नही होना बताया। श्री राजकुमार एएसआई को चालक के चोटो के बारे में पूछा तो कोई चोट नही होना बताया। श्री राजकुमार एएसआई को हिदायत की गई कि चालक के किसी प्रकार की कोई चोट हो तो तुरन्त ईलाज हेतु रवाना करे तथा पिकअप व ड्रमों की सुरक्षा करे तथा पिकअप को सीधा करने के लिए वाहन की व्यवस्था करे। इस ईतला पर मन राजेश कुमार आरपीएस वृत्ताधिकारी खेतडी मय जाप्ता कानि0 श्री राजेश कुमर नं0 885, श्री अशोक नं0 634 मय अनुसंधान बॉक्स मय लेपटाप प्रिन्टर मय सरकारी वाहन मय चालक के कार्यालय से रवाना होकर रात्रि समय 12.20 एएम पर आम सडक पपुरना बबाई खेडा वाला बालाजी मंदिर रोही प्रतापपुरा पहुचा जहां पर श्री राजकुमार एएसआई मय जाप्ता कानि0 बलवीर नं0 1155, रमेश नं0 422 मय सरकारी वाहन चालक के मौजूद मिले। जिन्होने एक व्यक्ति को बैठा रखा था तथा वही पर एक पिकअप खडी थी जिसको अन्य वाहन के माध्यम से खडी करवाना बताया। मौके पर 4 बडे प्लास्टिक ड्रम व 2 छोटे प्लास्टिक ड्रम थे। जिनमें डीजल पैट्रोल भरा हुआ था। मन राजेश कुमार आरपीएस वृत्ताधिकारी खेतडी ने अपने नाम व पद का परिचय देकर जाप्ता द्वारा पूर्व से बैठाये व्यक्ति को नाम पता पूछा तो अपना नाम दिनेश कुमार पुत्र श्री कुशलाराम जाति जाट उम्र 28 साल निवासी छावसरी थाना गुढागौडजी जिला झुंझुनूं होना बताया जिसको पूछा तो हरियाणा से पिकअप में डीजल पैट्रोल भरकर तस्करी हेतु राजस्थान में ब्रिकी हेतु परिवहन करते समय अचानक पिकअप की स्टेरिग फैल होने के कारण पिकअप पलटना बताया। चालक को पिकअप में डीजल व पैट्रोल रखना व परिवहन करने बाबत लाईसेन्स/परमिट मांगा तो अपने पास कोई लाइसेन्स/परमिट नही होना बताया। चालक दिनेश कुमार द्वारा पिकअप में बिना लाईसेन्स/परमिट के डीजल व पैट्रोल भरकर हरियाणा से राजस्थान में ब्रिकी हेतु लेकर आना अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की खिलाफ वर्जी करना पाया जाने पर ड्रमों को चैक करने हेतु स्वतंत्र गवाह बनाने हेतु स्वतंत्र गवाह लेकर आने हेतु श्री राजेश कुमार कानि0 न0 885 को रवाना किया गया, जिसने कुछ समय पश्चात आकर बताया कि आस पास के लोगो ने गवाह बनने से इनकार कर दिया। ऐसी सुरत में श्री राजकुमार एएसआई व श्री बलवीर कानि न0 1155 को गवाह मामुर कर ड्रमों व पिकअप को चैक किया तो अवैध रूप से 3 बडे प्लास्टिक ड्रमों में प्रत्येक में करीब 200 लीटर डीजल व 1 बडे ड्रम में करीब 50 लीटर डीजल, कुल 4 बडे ड्रमों में करीब 650 लीटर डीजल, 1 छोटे 50 लीटर के प्लास्टिक ड्रम में करीब 50 लीटर पैट्रोल व 1 छोटे 20 लीटर के प्लास्टिक ड्रम में करीब 10 लीटर पैट्रोल, कुल 2 छोटे ड्रमो में करीब 60 लीटर पैट्रोल भरा हुआ है। प्रत्येक डीजल व पैट्रोल ड्रम में से बतौर परीक्षण हेतु एक एक बोतल डीजल व पैट्रोल निकालकर शील्ड मोहर बन्द कर मार्क A, B, C, D, E, F अंकित किया गया। इसी प्रकार प्रत्येक ड्रम में से बतौर कन्ट्रोल सेम्पल हेतु एक एक बोतल डीजल व पैट्रोल निकालकर शील्ड मोहर बन्द कर मार्क A-1, B-1, C-1, D-1, E-1, F-1 अंकित किया गया। शेष सभी 6 ड्रम बडे व छोटे डीजल व पैट्रोल बतौर वजह सबूत शील्ड मोहर कर मार्क A-2, B-2, C-2, D-2, E-2, F-2 अंकित किया गया। बेचान सामग्री एक लोहे का 5 लीटर [illegible] एक लोहे का 1 लीटर का नाप, 1 प्लास्टिक कीप व प्लास्टिक पाईप को एक [illegible] शील्ड मोहर कर मार्का G अंकित किया गया। पिकअप गाडी के नम्बर प्लेट [illegible] रजिस्ट्रेशन नं[illegible] 18 GA 2502 लिखे हुये व चेचिस नं0 MA1RCZGGA91F36619 चेचिस नं0 G[illegible] से रगडनुमा निशान, उपर से केबिन मुडी हुई है स्टेरिग काम नही कर रहा है, [illegible] फन्टे लगे हुये है। नमूना सील फर्द पर अंकित की गई। मुल्जिम दिनेश कुमार पुत्र श्री कुशलाराम जाति जाट उम्र 28 साल निवासी छावसरी थाना गुढागौडजी जिला झुंझुनूं को अपने कर्दा जुर्म से आगाह कर चैक लिस्ट तैयार कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। पिकअप स्टेरिग फैल होने के कारण चलने की स्थिति मे नही है। जप्त शुदा पिकअप व डीजल

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.06 15:11:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पैट्रोल को अन्य प्राईवेट वाहन के माध्यम से लेकर चौकी बबाई पहुंचा, सुरक्षार्थ चौकी बबाई में छोडा गया। चौकी बबाई से रवाना होकर आया हूं आदि पर प्रकरण संख्या 244/2022 दिनांक 21.05.2022 जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान मन थानाधिकारी के जुम्मे किया गया है। दौराने अनुसंधान एफआईआर व फर्दात शामिल पत्रावली की गई। फर्दात पर लाल स्याही से मुकदमा नम्बर अंकित किये गये। बयान धारा 161 दं0प्र0सं0 श्री राजेश कुमार कसाना आरपीएस व गवाहान श्री राजकुमार सउनि, बलबीर कानि0, रमेश कानि0, अशोक कानि0 व राजेश कानि0 के लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये। मुल्जिम दिनेश से विस्तृत पुछताछ नोट मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। आपराधिक रिकॉर्ड मुल्जिम दिनेश को प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। मुल्जिम दिनेश को नोटिस धारा 134 एमवी एक्ट का दिया जाकर जवाब प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण की तफ्तीश हासला, मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों, फर्द जप्ती अवैध डीजल व पैट्रोल से भरे हुये ड्रम मय बेचान सामग्री मय पिकअप, एफआईआर, चैक लिस्ट व फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम दिनेश, बयान धारा 161 दंप्रसं श्री राजेश कुमार कसाना आरपीएस व गवाहान श्री राजकुमार सउनि, बलबीर कानि, रमेश कानि, अशोक कानि व राजेश कानि पूछताछ नोट मुल्जिम दिनेश, आपराधिक रिकॉर्ड मुल्जिम दिनेश, नोटिस धारा 134 एमवी एक्ट व जवाब मुल्जिम दिनेश आदि से पाया गया कि प्रकरण में गिरफ्तारशुदा मुल्जिम दिनेश अपनी पिकअप गाडी नं0 आरजे 18 जीए 2502 में हरियाणा राज्य से डीजल व पैट्रोल के ड्रम भरकर लाता है और राजस्थान राज्य में बेचान कर लाभ कमाता है। हरियाणा राज्य में डीजल व पैट्रोल सस्ता है, जिस कारण से बिना वैध लाईसेन्स/परमिट के डीजल/पैट्रोल का अवैध परिवहन व बेचान कर लाभ प्राप्त करता है साथ ही सरकार को राजस्व हानि पहुंचाना पाया गया है। प्रकरण के अब तक के अनुसंधान से मुल्जिम दिनेश पुत्र कुशलाराम जाति जाट उम्र 28 साल निवासी छावसरी पुलिस थाना गुढागौडजी जिला झुंझुनूं के खिलाफ अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रमाणित हैं प्रकरण में गिरफ्तारशुदा मुल्जिम दिनेश को पेश न्यायालय किया गया जो न्यायालय के आदेश से जमानत पर है। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पिकअप नं0 आर जे 18 जीए 2502 के आरसी धारक श्री कुशलाराम द्वारा मूल आरसी पेश करने पर जरिये फर्द जप्ती कर शामिल पत्रावली की गई। आरसी धारक श्री कुशलाराम को धारा 133 एमवी एक्ट का दिया जाकर लिखित में जवाब प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। आरसीधारक श्री कुशलाराम से अनुसंधान किया जाकर बयान धारा 161 दंप्रसं के तहत लेखबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। जप्तशुदा प्रादर्श एफसएल जमा कराये जाकर रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। एफएसएल कैरियर श्री विकास कुमार व मालखाना इचार्ज श्री विजय कुमार से अनुसंधान कर बयान धारा 161 दंप्रसं में लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये। एफएसएल कैरियर की रवानगी व वापसी की नकल रपट रोजनामचा आम की प्रतियां नकल मालखाना की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पिकअप गाडी नं0 आरजे 18 जीए 2502 को आरसी धारक/सुपुर्दगीदार श्री कुशलाराम को सुपुर्दगी पर दिया जाता है। तो पुलिस थाना खेतडी को कोई एतराज नही है। साथ ही प्रकरण में जप्तशुदा डीजल व पैट्रोल के थाने पर रखरखाव की व्यवस्था नही है। जप्तशुदा माल ज्वलनशील पदार्थ है, जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। अतः जप्तशुदा डीजल व पैट्रोल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के क्लॉज 2 के बिन्दु सं0 1 के तहत नियमानुसार निस्तारण करने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.06 15:11:44 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान [illegible] में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि प्रार्थी वाहन पिकअप [illegible] स्वामी है। उक्त वाहन को पुलिस थाना खेतडी द्वारा प्रथम सूचना संख्या 244/2022 दिनांक 20.05.2022 को जप्त किया था तब से उक्त वाहन पुलिस थाना खेतडी की अभिरक्षा में है। उक्त वाहन के सम्बन्ध में पुलिस थाना खेतडी द्वारा समस्त प्रकार का अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है तथा वाहन चालक प्रार्थी दिनेश कुमार को भी न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झुंझुनूं द्वारा दिनांक 21.05.2022 को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। तथा माननीय न्यायालय द्वारा जप्त शुदा डीजल को दिनांक 20.05.2022 को राजसात (अधिकरण) कर लिया गया है। उक्त वाहन के पुलिस थाना में लम्बे समय से खडा हैं जिसके खराब होने का पूर्ण अंदेशा

है। वाहन स्वामी को उक्त अपराध के बारे में कोई जानकारी नही थी और ना ही उक्त वाहन को वाहन चालक दिनेश कुमार द्वारा डीजल की जानकारी प्रार्थी आवेदक को नही थी। प्रार्थी मौतबीर व्यक्ति है मौतबीर सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वीकार कर वाहन आरजे 18 जीए 2502 को प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश प्रदान करे।

विभागीय प्रतिनिधि ने वकील प्रार्थी के कथनो का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का वाहन प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 244/2022 पुलिस थाना खेतडी मे अपराध अ0धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट मे जप्त है। प्रार्थी द्वारा पिकअप सं0 आरजे 18 जीए 2502 का उपयोग अवैध रूप से डीजल एवं पेट्रोल जो कि बिक्री के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था के लिए किया है जो कि ई0सी0 एक्ट का उल्लघंन है। अतः प्रार्थी का सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान् की बहस पर बगौर मनन किया किया। प्रकरण मे डीजल हरियाणा से लाया जाना स्वयं प्रार्थी ने स्वीकार किया है। जप्त डीजल की मात्रा 650 लीटर एवं 60 लीटर पेट्रोल (3 ड्रम प्रत्येक मे 200–200 लीटर एवं एक बडे ड्रम मे 50 लीटर डीजल एवं एक ड्रम क्षमता 50 लीटर मे 50 लीटर पेट्रोल एवं एक ड्रम क्षमता 20 लीटर मे 10 लीटर पेट्रोल) है। इतनी मात्रा मे हरियाणा से बिना किसी अनुमति के प्रार्थी उक्त डीजल एवं पेट्रोल राजस्थान मे लाया है जबकि राजस्थान मे डीजल एवं पेट्रोल पम्प पहले से उपलब्ध है। इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रार्थी टैक्स बचाने के लिए डीजल एवं पेट्रोल वहां से लेकर आया है। प्रकरण का अन्तिम निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा सेक्शन 3/7 के तहत किया जाना है। हम प्रकरण का निस्तारण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए तथा 6बी के तहत डीजल, पेट्रोल एवं वाहन पिकअप सं0 आरजे 18 जीबी 9377 का अन्तरिम निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अतः जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वह जप्तशुदा डीजल 650 लीटर एवं पेट्रोल 60 लीटर का मय 4 ड्रम बडे, 1 ड्रम 50 लीटर क्षमता एवं 1 ड्रम 20 लीटर क्षमता के खुली निलामी के जरिये निस्तारण करें तथा निलामी राशि को नियमानुसार कार्यवाही कर राजकोष मे जमा करावें तथा जप्त वाहन पिकअप सं0 आरजे 18 जीए 2502 को 3–3 लाख का जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के अन्तरिम आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना खेतडी को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.06.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.07.06 15:11:44 IST
Reason: SelfAttested